ISSN 0973-8541, HUMANITIES AND DEVELOPMENT, VOL.19, No.3, July – Sept. ,2024/4

पानी का अधिकार एवं संकट (चुनौतियां एवं समाधान): एक समग्र अध्ययन।

कृष्ण कुमार भास्कर, लेखक, रिसर्च स्कॉलर, विधि विभाग, डॉ0 आर0एम0एल0ए0यू0, अयोध्या
डॉ0 शिव बहादुर तिवारी, सह–लेखक, शोध निर्देशक, असिस्टेंट प्रोफेसर, विधि विभाग, के0एन0पी0आई0एस0एस0, सुल्तानपुर
https:// 10.61410/had.v19i3.195

सारांश

संपूर्ण मानव सभ्यता के विकास में मानव जीवन भोजन एवं जल पर केंद्रित व निर्भर रहा है वर्तमान में संपूर्ण विश्व स्तर पर एक योजना जिसका नाम **सतत विकास** (Sustainable Development) है संचालित है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों में सम्मिलित खनिजों को संरक्षित कर अपनी अगली पीढ़ी के लिए संरक्षित करना व स्वयं उपयोग करना, मुख्य उद्देश्य के रूप में वर्णित है जिसमें भारतवर्ष भी एक प्रतिभागी के रूप में सम्मिलित है। ऐसे में जल जोकि इसकी मुख्यधारा में शामिल है का संरक्षण एवं संवर्धन मानव अधिकार से संबंधित विषय के रूप में अध्ययन के लिए अनिवार्य हो जाता है इस लेख का उद्देश्य जल के अधिकार व उससे संबंधित संकट, चुनौतियां एवं समाधान से निपटने हेतु आम जनमानस एवं सरकार को अवगत कराना है।

१ प्रस्तावना–

"छिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित अति अधम सरीरा।।"

– तुलसीदास, श्रीरामचरितमानस, किष्किंधा कांड

अर्थात– पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु इन पांच तत्वों से यह मानव शरीर रचा गया है।

28 जुलाई वर्ष 2010 को, संकल्प 64/292 के माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्पष्ट रूप से पानी और स्वच्छता के मानव अधिकार को मान्यता दी और प्रस्ताव 122 देशों के पक्ष में मतदान के साथ पारित हुआ और विपक्ष में कोई वोट नहीं पड़ा, लेकिन 44 देश अनुपस्थित रहे। प्रस्ताव का समर्थन करने वाले देशों ने तर्क दिया कि पानी जीवन के लिए आवश्यक है और ध्यान दिया कि आबादी के बड़े हिस्से में स्वच्छ पेयजल और पर्याप्त स्वच्छता तक पहुंच नहीं है। प्रस्ताव में राज्यों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में मदद करने का आह्वान किया गया है ताकि देशों, विशेष रूप से विकासशील देशों को सभी के लिए सुरक्षित, स्वच्छ, सुलभ और किफायती पेयजल और स्वच्छता प्रदान करने में मदद मिल सके।

वर्ष 2002 में, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति ने टिप्पणी 15 को अपनाया था, जिसमें कहा गया था: "मानव गरिमा में जीवन जीने के लिए पानी का मानव अधिकार अपरिहार्य है। यह अन्य मानवाधिकारों की प्राप्ति के लिए एक शर्त है।" वर्ष 2010 की घोषणा ने इस अधिकार की पुष्टि की और इसे स्पष्ट किया, और बाद में इसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया, जिसमें अमेरिका एक सदस्य था, वर्ष 2010 और 2011 के प्रस्तावों में इसे अंतरराष्ट्रीय कानून में कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया गया। संयुक्त राष्ट्र ने यह

भी निर्धारित किया है कि पानी और स्वच्छता पर्याप्त, सुरक्षित, स्वीकार्य, सुलभ और किफायती होनी चाहिए, ''किफायती'' को एक घर की आय के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं परिभाषित किया गया है।

जल–सघन ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में वृद्धि भी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में **सामान्य बनाम कमोडिटी** बहस को फिर से मजबूत कर रही है। वैश्विक स्तर पर, गैर–लाभकारी संस्थाएं और मीडिया दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और अन्य जगहों पर व्यापक भूमि खरीद के माध्यम से पानी पर निजी अधिकार हासिल करने के बढ़ते प्रयासों पर ध्यान दे रहे हैं, जो पहले सार्वजनिक क्षेत्र में था। जमीन की खरीद वास्तव में उस पानी को खरीदने के बारे में है जो इसके साथ जाता है।

विश्व आर्थिक मंच ने बढ़ते वैश्विक ''जल संकट'' को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख जोखिम घोषित किया है। स्वच्छ जल और स्वच्छता की कमी से शहरी परिवारों से लेकर ग्रामीण कृषि उत्पादन तक दुनिया भर में समस्याएँ पैदा होती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दशक ''जीवन के लिए जल'', वर्ष 2005–2015 के कार्यान्वयन पर उच्च–स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय में सम्मेलन भविष्य को देखते हुए, ताजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम इमोमाली रहमोन ने सतत विकास के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में 'सतत विकास के लिए जल' आदर्श वाक्य के तहत कार्रवाई के लिए एक नए अंतर्राष्ट्रीय दशक की घोषणा की।

२ पानी का अधिकार–

भारत में गरीबों के लिए पानी और स्वच्छता तक पहुंच की अपर्याप्त (या इनकार) आर्थिक सुधारों के आगमन से पहले भी लंबे समय से चली आ रही है। भारत में पानी के अधिकार की गारंटी न तो संविधान और न तो किसी कानून द्वारा स्पष्ट रूप से दी गई है। यह एक निहित अधिकार है, जो कानूनों के एक सेट के माध्यम से दावा किया गया है जो जल प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए अपनी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से राज्य को एक कर्तव्य प्रदान करता है। इसलिए, स्वच्छ जल का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत है और किसी को भी इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। देश भर की अदालतों ने भी इसे बरकरार रखा है

अधिनियम–

पीने के प्रयोजनों के लिए जल आपूर्ति, सिंचाई और जल संसाधन प्रबंधन योजनाओं के संचालन से प्रभावित विस्थापितों के पुनर्वास के संबंध में जल और जल आधारित संसाधनों के संबंध में बड़ी संख्या में अधिनियम पारित किए गए हैं। हालाँकि, इनमें से कोई भी कानून स्पष्ट रूप से 'पानी के अधिकार' की गणना नहीं करता है। भारतीय कानूनी प्रणाली जल प्रदूषण और पानी की गुणवत्ता की समस्याओं के समाधान के लिए कानूनी मार्ग प्रदान करती है, जिससे लोगों और अन्य जीवित प्राणियों के स्वच्छ और अप्रदूषित जल के अधिकारों को बहाल करने में मदद मिलती है।

1. प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1974;
2. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधान; और
3. भारतीय सुख सुविधा अधिनियम, 1882

जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974

जल अधिनियम के पीछे का विचार पानी की पूर्णता को बहाल करना है, और यह सुनिश्चित करना है कि घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों को पर्याप्त उपचार के बिना जलस्रोतों में प्रवाहित न किया जाए। यह जल अधिनियम केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के गठन का प्रावधान करता है, जिन्हें विभिन्न प्रकार के कार्य करने का अधिकार दिया गया है, जिसमें जलधाराओं और कुओं की स्वच्छता को बढ़ावा देने और पानी के प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए गुणवत्ता मानकों की स्थापना, अनुसंधान, योजना और जांच शामिल है। राज्य बोर्ड की सहमति प्राप्त किए बिना कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा उद्योग आदि स्थापित नहीं कर सकता, जिसमें सीवेज या व्यापारिक अपशिष्ट प्रवाहित होने की संभावना हो।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम जल की गुणवत्ता और जल प्रदूषण के नियंत्रण तक फैला हुआ है। अधिनियम की धारा 2 (ए) पर्यावरण को पानी और पानी और मनुष्यों, अन्य जीवित प्राणियों, पौधों, सूक्ष्म जीवों और संपत्ति के बीच मौजूद अंतर्संबंध को शामिल करने के लिए परिभाषित करती है। यह अधिनियम केंद्र सरकार को पर्यावरण की गुणवत्ता और किसी भी स्रोत से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन के लिए मानक स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है।

भारतीय सुख सुविधा अधिनियम, 1882

सुख सुविधा अधिनियम की धारा 7 में प्रावधान है कि प्रत्येक तटवर्ती मालिक को विनाश या अनुचित प्रदूषण के बिना अपनी प्राकृतिक स्थिति में प्राकृतिक धारा के पानी के निरंतर प्रवाह का अधिकार है। **एमसी मेहता बनाम भारत संघ** मामले में न्यायालय ने तटवर्ती अधिकारों के सिद्धांत को मान्यता दी और पुनर्जीवित किया। इस मामले में अदालत ने कहा कि 'याचिकाकर्ता एक नदी तट का मालिक है और गंगा नदी में बहने वाले पानी का उपयोग करने वाले लोगों के जीवन की रक्षा करने में रुचि रखने वाला व्यक्ति है और याचिका को बनाए रखने के उसके अधिकार पर विवाद नहीं किया जा सकता है। गंगा नदी के प्रदूषण से होने वाला उपद्रव एक सार्वजनिक उपद्रव है, जो व्यापक दायरे में फैला हुआ है।

केंद्रीय जल आयोग

यह भारत में जल संसाधन के क्षेत्र में एक तकनीकी संगठन है। यह अब भारत सरकार के जल संसाधन के एक भाग के रूप में कार्य कर रहा है। बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, नेविगेशन, पेयजल आपूर्ति और जल विद्युत विकास के उद्देश्य से पूरे देश में पानी के नियंत्रण, संरक्षण और उपयोग के लिए संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से योजनाएं शुरू करना, समन्वय करना और आगे बढ़ाना जिम्मेदारियां हैं। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के जल संसाधनों के एकीकृत और सतत विकास और प्रबंधन को बढ़ावा देना है।

३ जल संकट चुनौतियां एवं समाधान

जैसे–जैसे भारत बढ़ रहा है और शहरीकरण हो रहा है, इसके जलस्रोत जहरीले होते जा रहे हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में लगभग 70% सतही जल उपभोग के लिए अनुपयुक्त है। हर दिन, लगभग 40 मिलियन लीटर अपशिष्ट जल नदियों और अन्य जल निकायों में प्रवेश करता है, जिसका केवल एक छोटा सा अंश ही पर्याप्त रूप से उपचारित होता है। विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि अपस्ट्रीम में प्रदूषण का ऐसा उत्सर्जन डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में आर्थिक विकास को

कम करता है, जिससे इन क्षेत्रों में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि एक तिहाई तक कम हो जाती है। इसे और भी बदतर बनाने के लिए, भारत जैसे मध्यम–आय वाले देशों में जहां जल प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, इसका प्रभाव सकल घरेलू उत्पाद की लगभग आधी वृद्धि तक बढ़ जाता है। एक अन्य अध्ययन का अनुमान है कि भारत में प्रदूषित हिस्सों का डाउनस्ट्रीम कृषि राजस्व में 9% की कमी और डाउनस्ट्रीम कृषि उपज में 16% की गिरावट के साथ जुड़ा हुआ है। 1.3 अरब लोगों की आबादी में से, 91 मिलियन लोगों (जनसंख्या का 6%) के पास सुरक्षित पानी तक पहुंच नहीं है, और 746 मिलियन लोगों (54%) के पास सुरक्षित रूप से प्रबंधित घरेलू स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच नहीं है। वर्तमान चुनौतियों में अत्यधिक जल तनाव, दूषित सतही जल और पाइप जल आपूर्ति तक पहुंच की कमी शामिल है। सूखे और समुद्र के बढ़ते स्तर जैसे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव भी भारत में परिवारों के लिए सुरक्षित पानी और स्वच्छता तक पहुंच को प्रभावित करते हैं।

इन कारकों ने, वर्ष 2024 तक हर घर में नल का पानी कनेक्शन प्रदान करने के लिए भारत सरकार की वर्तमान पहल के साथ मिलकर, सुरक्षित पानी और स्वच्छता तक पहुंच बढ़ाने के लिए प्रभावी समाधान लागू करने की अभूतपूर्व तात्कालिकता पैदा कर दी है।

४ सरकारी नीतियां

वर्तमान में राष्ट्रीय जल नीति–2012 प्रभावी है। हालाँकि, जल राज्य का विषय होने के कारण, जल संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण और कुशल प्रबंधन के लिए कदम मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उठाए जाते हैं। राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिए, केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

भारत सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में, जलजीवन मिशन (जेजेएम)– हर घर जल लागू कर रही है, जिसका उद्देश्य 2024 तक नल के पानी के कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता की पर्याप्त मात्रा में पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना है।

भारत सरकार ने वर्ष 2015 में जल केंद्रित राष्ट्रीय शहरी मिशन के रूप में कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य पांच वर्षों के लिए 500 मिशन शहरों में जल आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज हासिल करना है, जिसे परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मार्च 2023 तक बढ़ाया गया है। AMRUT की शुरुआत में, जल आपूर्ति कवरेज 64 % थी और मिशन के अंत तक इसका लक्ष्य 100 % घरों को कवर करना है। 500 शहरों से सभी वैधानिक कस्बों तक जल आपूर्ति के सार्वभौमिक कवरेज के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए 1 अक्टूबर, वर्ष 2021 को अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) लॉन्च किया गया है। जो शहरों को 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बनाने पर केंद्रित है।

केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने वर्ष 2018 में चुनिंदा आकांक्षी जिलों में कृत्रिम पुनर्भरण कार्य शुरू किया और वर्ष 2020 में इसे पूरा किया और उपयुक्त स्थानों पर भंडारण के लिए नालों में बहते पानी का संग्रहण करने के लिए उपयुक्त संरचनाओं का निर्माण किया गया। राष्ट्रीय जल मिशन ने 14.11.2019 को पानी की कमी वाले क्षेत्रों में किसानों को ऐसी फसलें उगाने के लिए प्रेरित करने के लिए 'सहीफसल' अभियान शुरू किया था, जो पानी की अधिक खपत नहीं करती हैं, लेकिन पानी का कुशलतापूर्वक उपयोग करती हैं और आर्थिक रूप से लाभकारी हैं। राष्ट्रीय जल मिशन ने जलवायु परिस्थितियों के लिए उपयुक्त वर्षा जल संचयन संरचनाएं (आरडब्ल्यूएचएस) बनाने के लिए राज्यों और

सभी हितधारकों को प्रेरित करने के लिए टैग लाइन ''**कैच द रेन, व्हेयर इट फॉल्स, व्हेन इट फॉल्स**'' के साथ एक और अभियान ''**कैच द रेन**'' शुरू किया है। जल शक्ति मंत्रालय ने देश के 256 जल संकटग्रस्त जिलों में जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिए एक अभियान, जल शक्ति अभियान–I (JSA– I) शुरू किया।

भारत सरकार ने सामान्य रूप से पानी के मूल्य को बढ़ावा देने और जल संरक्षण और जल संसाधनों के सतत विकास पर देशव्यापी प्रयासों का समर्थन करने के लिए 01.12.2021 को एक वर्ष के लिए ''वाटर हीरोज़–शेयर योर स्टोरीज़'' प्रतियोगिता का तीसरा संस्करण शुरू किया है।

५ उपसंहार

वर्तमान में Water-org पर भारत में भारी निवेश किया गया है और यह देश के जल संकट को समाप्त करने के राष्ट्रीय प्रयास का समर्थन करने के लिए रणनीतिक रूप से तैनात है। हमारी योजना गरीबी में रहने वाले लोगों के बीच पानी और स्वच्छता वित्तपोषण की बड़ी, अधूरी मांग, भारत के मजबूत माइक्रोफाइनेंस बुनियादी ढांचे और तेजी से डिजिटलीकृत ऋण देने के माहौल और जरूरतमंद लोगों के बीच वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिए भारत सरकार के महत्वपूर्ण समर्थन का लाभ उठाएगी। वॉटरक्रेडिट के माध्यम से हमारे घरेलू स्तर के काम के अलावा, हम सामुदायिक स्तर पर वित्तीय समाधान विकसित करने में भी उत्प्रेरक भूमिका निभाते रहेंगे, जिसमें ऐसे कार्यक्रम शामिल हैं जो जल उद्यमों, बुनियादी ढांचे और उपयोगिता सेवाओं को जरूरतमंद लोगों के लिए अपनी सेवाओं का विस्तार करने में मदद करते हैं। और हम भारत में प्रमुख बहुपक्षीय विकास वित्त संस्थानों और सरकारी भागीदारों, जैसे पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन, यूनिसेफ, विश्व बैंक, वाटरएड और स्थानीय संगठनों के साथ निकटता से साझेदारी करना जारी रखेंगे। इन साझेदारियों के माध्यम से, सार्वजनिक नीति और व्यवहार में बदलावों को प्रभावित करने के लिए काम हो रहे हैं जिससे देश भर में पानी और स्वच्छता समाधानों के लिए अधिक धन उपलब्ध हो सके।

सुझाव – जल ही जीवन है के महत्व को आम जनमानस तक पहुंचाने व भविष्य में होने वाले जल संकट से अवगत कराने हेतु चरणबद्ध तरीके से ग्रामीण व शहरी स्तर पर कार्यशालाएं, सेमिनारों, सभाओं व नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जागरूक किया जाए। भूजल स्तर के संवर्धन, संचयन व संरक्षण हेतु व्यक्तियों को जागरूक व नीतियां बनाकर धरातल पर कार्य सरकार व व्यक्तिक संस्थाओं के माध्यम से किया जाए।

1. जल एवं स्वच्छता का मानव अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दशक 'जीवन के लिए जल' 2005–2015 (un-org)
2. पानी का अधिकार – क्या पानी एक मानव अधिकार है या एक वस्तु ? – यू–एम एरब (umich-edu)
3. अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दशक 'जीवन के लिए जल' 2005–2015 (un-org)
4. Water pollution is killing millions of Indians. Here's how technology and reliable data can change that | World Economic Forum (weforum.org)

संदर्भ ग्रंथ सूची

पुस्तकें

• दीवान, श्याम और रोसेंक्रांज़, आर्मिन, भारत में पर्यावरण कानून और नीतिरू मामले, सामग्री और क़ानून (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, दूसरा संस्करण, 2012)।

• लीलाकृष्णन, पी, भारत में पर्यावरण कानून (लेक्सिस नेक्सिस, हरियाणा, चौथा संस्करण, 2016)।

• शुक्ला, ओ.पी., पर्यावरण संरक्षण कानून (एग्रोटेक प्रेस, नई दिल्ली, प्रथम प्रकाशन, 2013)।

• वेंकट, अरुणा, पर्यावरण कानून और नीति (पीएचआई लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, संस्करण, 2011)।

अधिनियम

• भारत का संविधान, 1950

• पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

• राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010

प्रतिवेदन–

भारतीय विधि आयोग (186वीं रिपोर्ट 2003)

मामला–

एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (AIR 1987 SC 965)

इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो–लीगल एक्शन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1996 3 एससीसी 212)

ए.पी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम प्रोफेसर एम.वी. नायडू (1992 2 एससीसी 718)

30 मार्च, 2017 को ललित मिगलानी बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य